



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/523/2012/...6151..

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल।

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।

सभी निदेशक/अधीक्षक, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान/अतिविशिष्ट अस्पताल

पटना, दिनांक 19/01/23

विषय: राज्य के सभी जिला औषधि भंडार एवं सरकारी अस्पताल स्थित औषधि वितरण केन्द्रों पर भौतिक भंडार पंजी, वास्तविक भंडार तथा DVDMS पर उपलब्ध भंडारण आकड़ों का मिलान कर समरूप करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में औषधि/चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को अत्यधिक सुदृढ़ करते हुये मरीजों को औषधि के वितरण की प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु DVDMS पोर्टल तथा संजीवनी पोर्टल के Integration का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस विधि से संजीवनी पोर्टल पर निबंधित मरीजों को औषधि वितरण केन्द्र से औषधि वितरित करने के उपरान्त DVDMS पोर्टल पर स्वतः स्टॉक अद्यतन हो जायेगा।

2. इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान में सभी औषधि वितरण केन्द्र पर मरीजों को औषधि का वितरण संजीवनी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। जबकि औषधियों की अधियाचना, अधिप्राप्ति तथा विभिन्न औषधि भंडारण केन्द्रों पर औषधियों के भंडारण के आकड़े DVDMS पर उपलब्ध होते हैं। संजीवनी के DVDMS के साथ Integration हो जाने के पश्चात् औषधि वितरण केन्द्रों पर औषधियों के वितरण के साथ ही भंडारण के आकड़े Real Time Basis पर Update होंगे तथा End to End Supply Chain में आकड़ों की स्पष्टता बनी रहेगी।

3. अतः उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि जिलान्तर्गत सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी औषधि वितरण केन्द्र/औषधि भंडार केन्द्र पर भौतिक पंजी में अंकित भंडार, वास्तविक भंडार तथा DVDMS पोर्टल पर उपलब्ध भंडार में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं हो। अतएव अनुरोध है कि दिनांक 25.01.2023 तक सभी औषधि वितरण केन्द्र/औषधि भंडार केन्द्र पर भौतिक भंडार पंजी का मिलान तथा DVDMS पोर्टल पर उपलब्ध आकड़ों के साथ करते हुये इसे समरूप कर लें ताकि संजीवनी पोर्टल से मरीजों को औषधि वितरित किये जाने के पश्चात् DVDMS पोर्टल पर Real Time Stock प्रदर्शित हो सके। इस कार्य को निर्धारित तिथि तक त्रुटिरहित तरीके से पूर्ण कर लिया जाये, जिससे उक्त व्यवस्था को दिनांक 26.01.2023 से मूर्तरूप दिया जा सके।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

MOST URGENT

पत्रांक: SHSB/PM/523/2012/...6157...

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल।

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।

सभी निदेशक/अधीक्षक, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान/अतिविशिष्ट अस्पताल

पटना, दिनांक ...19/01/23

विषय: राज्य के सभी जिला औषधि भंडार एवं सरकारी अस्पताल स्थित औषधि वितरण केन्द्रों पर भौतिक भंडार पंजी, वास्तविक भंडार तथा DVDMS पर उपलब्ध भंडारण आकड़ों का मिलान कर समरूप करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में औषधि/चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को अत्यधिक सुदृढ़ करते हुये मरीजों को औषधि के वितरण की प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु DVDMS पोर्टल तथा संजीवनी पोर्टल के Integration का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस विधि से संजीवनी पोर्टल पर निर्बंधित मरीजों को औषधि वितरण केन्द्र से औषधि वितरित करने के उपरान्त DVDMS पोर्टल पर स्वतः स्टॉक अद्यतन हो जायेगा।

2. इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान में सभी औषधि वितरण केन्द्र पर मरीजों को औषधि का वितरण संजीवनी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। जबकि औषधियों की अधियाचना, अधिप्राप्ति तथा विभिन्न औषधि भंडारण केन्द्रों पर औषधियों के भंडारण के आकड़े DVDMS पर उपलब्ध होते हैं। संजीवनी के DVDMS के साथ Integration हो जाने के पश्चात् औषधि वितरण केन्द्रों पर औषधियों के वितरण के साथ ही भंडारण के आकड़े Real Time Basis पर Update होंगे तथा End to End Supply Chain में आकड़ों की स्पष्टता बनी रहेगी।

3. अतः उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि जिलान्तर्गत सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी औषधि वितरण केन्द्र/औषधि भंडार केन्द्र पर भौतिक पंजी में अंकित भंडार, वास्तविक भंडार तथा DVDMS पोर्टल पर उपलब्ध भंडार में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं हो। अतएव अनुरोध है कि दिनांक 25.01.2023 तक सभी औषधि वितरण केन्द्र/औषधि भंडार केन्द्र पर भौतिक भंडार पंजी का मिलान तथा DVDMS पोर्टल पर उपलब्ध आकड़ों के साथ करते हुये इसे समरूप कर लें ताकि संजीवनी पोर्टल से मरीजों को औषधि वितरित किये जाने के पश्चात् DVDMS पोर्टल पर Real Time Stock प्रदर्शित हो सके। इस कार्य को निर्धारित तिथि तक त्रुटिरहित तरीके से पूर्ण कर लिया जाये, जिससे उक्त व्यवस्था को दिनांक 26.01.2023 से मूर्तरूप दिया जा सके।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक...6157.....

पटना, दिनांक...19/01/23

प्रतिलिपि :

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को कृपया सूचनार्थ।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

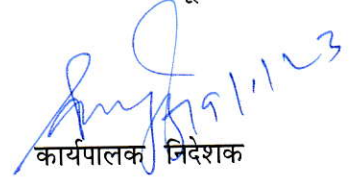




राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रोजेक्ट इम्पलिमेंटेशन मैनेजर, C-DAC, SHSB/BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


कार्यपालक निदेशक

